न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 17 / 2025	2025 / 90	10.02.2025	19.02.2025

1— जाकिर हुसैन पुत्र चानदमल जाति मेव निवासी ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल— तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1— तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल—तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 17.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1187 वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल—तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित—

01. श्री सतीश कुमार शर्मा —वकील अपीलान्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1187 निर्णय दिनांक 17.11.2024 वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल—तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 697 रकबा 0.23 है0 का 1 / 4 भाग, 380 रकबा 0.27 है0, 381 रकबा 0.23 है0, 401 रकबा 0.51 है0, 402 रकबा 0.19 है0, 433 रकबा 0.15 है0, 434 रकबा 0.15 है0, 436 रकबा 0.23 है0, 441 रकबा 0.24 है0, 442 रकबा 0.13 है0, 489 / 795 रकबा 0.08 है0, 491 रकबा 0.09 है0, किता 11 रकबा 2.27 है0, का 1 / 4 भाग, 540 रकबा 0.43 है0, का 1 / 4 भाग, 649 रकबा 0.35 है0, 683 रकबा 0.32 है0, 684 रकबा 0.19 है0, किता 3 रकबा 0.86 है0, सालिम, 383 रकबा 0.23 है0, का 11 / 72 भाग, 447 रकबा 0.32 है0, 634 रकबा 0.35 है0, 635 रकबा 0.29 है0, 707 रकबा 0.16 है0, किता 4 रकबा 1.21 है0 का 1 / 4 भाग, 633 रकबा 0.62 है0 का 1 / 12 भाग, 652 रकबा 0.11 है0, 656 रकबा 0.52 है0, 657 रकबा 0.57 है0, किता 3 रकबा 1.20 है0, का 1 / 8 भाग वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास स्थित है, आराजी को रहन रख कर मिन अपीलान्ट द्वारा पंजाब नेशनल बैक शाखा खानपुर मेवान से के.सी.सी. ऋण लिया जिस ऋण की ऐवज में राजस्थान कृषि प्रचलन (कठिनाईया निराकरण) अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के तहत पंजाब नेशनल बैक शाखा किशनगढबास के हक में रहन का अंकन हुआ। मिन अपीलान्ट द्वारा पंजाब नेशनल बैक शाखा खानपुर मेवान से लिये के.सी.सी. की अदायगी कर दी गयी है, तथा बैक द्वारा के.सी.सी. ऋण का नोडयूज प्रमाण—पत्र दिनाक 22.11.2024 को मिन अपीलान्ट का दिया गया। बैक द्वारा दिये गये नोडयूज के आधार पर मिन अपीलान्ट द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेज नोडयूज व 6(1) पटवारी हल्का बृसंगपुर तहसील किशनगढबास को दिये गये जिस पर पटवारी हल्का बृसंगपुर तहसील किशनगढबास द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 1187 दिनाक 29.10.2024 को दर्ज किया तथा वास्ते मंजूरी हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुये Mutabik Patwari Reprt After Reexamine And Decument Mismatch By Khate No Mution Is Not Acceptable खारिज किया गया है। तहत

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। यदि सुनवाई का अवसर दिया जाता तो स्पष्ट हो जाता की कोनसा दस्तावेज मिसमैच है, जिसकी पूर्ति भी की जा सकती थी, इस कारण से तहत अदालत अदालत द्वारा पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। तहत अदालत ने अपना आलोच्य आदेश पारित करने में सही जाप्ता काम में नही लिया गया जिससे मिन अपीलान्ट को काफी प्रज्यूडिस होना पडा है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1187 ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 697 रकबा 0.23 है0 का 1/4 भाग, 380 रकबा 0.27 है0, 381 रकबा 0.23 है0, 401 रकबा 0.51 है0, 402 रकबा 0.19 है0, 433 रकबा 0.15 है0, 434 रकबा 0.15 है0, 436 रकबा 0.23 है0, 441 रकबा 0.24 है0, 442 रकबा 0.13 है0, 489/795 रकबा 0.08 है0, 491 रकबा 0.09 है0, किता 11 रकबा 2.27 है0, का 1/4 भाग, 540 रकबा 0.43 है0, का 1/4 भाग, 649 रकबा 0.35 है0, 683 रकबा 0.32 है0, 684 रकबा 0.19 है0, किता 3 रकबा 0.86 है0, सालिम, 383 रकबा 0.23 है0, का 11/72 भाग, 447 रकबा 0.32 है0, 634 रकबा 0.35 है0, 635 रकबा 0.29 है0, 707 रकबा 0.16 है0, किता 4 रकबा 1.21 है0 का 1/4 भाग, 633 रकबा 0.62 है0 का 1/12 भाग, 652 रकबा 0.11 है0, 656 रकबा 0.52 है0, 657 रकबा 0.57 है0, किता 3 रकबा 1.20 है0, का 1/8 भाग वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास आराजी को रहन रख कर अपीलान्ट द्वारा पंजाब नेशनल बैक शाखा खानपुर मेवान से के.सी.सी. ऋण लिया जिस ऋण की ऐवज में राजस्थान कृषि प्रचलन (कठिनाईया निराकरण) अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के तहत पंजाब नेशनल बैक शाखा किशनगढबास के हक में रहन का अंकन हुआ। अपीलान्ट द्वारा पंजाब नेशनल बैक शाखा खानपुर मेवान से लिये के.सी.सी. की अदायगी कर दी गयी तथा बैक द्वारा के.सी.सी. ऋण का नोडयूज प्रमाण–पत्र दिनाक 22.11.2024 को मिन अपीलान्ट का दिया गया। बैक द्वारा दिये गये नोडयूज के आधार पर अपीलान्ट द्वारा रहन मुक्त का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु समस्त दस्तावेज नोडयूज व 6(1) पटवारी हल्का बृसंगपुर तहसील किशनगढबास को दिये गये जिस पर रहन मुक्त का नामान्तकरण संख्या 1187 दिनाक 17.11.2024 को दर्ज किया तथा वास्ते मंजूरी हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से यह लिखते हुये Mutabik Patwari Reprt After Reexamine And Decument Mismatch By Khate No Mution Is Not Acceptable खारिज किया गया है। रिकार्ड का अवलोकन किया गया तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, नामान्तकरण में वर्णित रहन मुक्त आदेश की पुनः जॉच कर आवश्यक पूर्ति करायी जाकर अपीलान्ट को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 17.11.2024 नामान्तकरण संख्या 1187 ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
खैरथल तिजारा (राज.)